न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर, ग्राम पोस्ट कंजोली, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन – रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं.–05/2020 ता.रजु–21.01.2020

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–12.02.2020

1. अपीलाण्ट उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ''तहसील हिण्डौन के श्रीमहावीरजी कस्बे में स्थित सिद्धार्थ रिसोर्ट के द्वारा कुल कवर्ड एरिया का क्षेत्रफल का पूर्ण विवरण, सिद्धार्थ रिसोर्ट द्वारा कितनी कवर्ड भूमि पर मालिकाना हक है, दस्तावेजों की प्रति, सिद्धार्थ रिसोर्ट की भूमि की किस्म, सिद्धार्थ रिसोर्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण की भूमि का क्षेत्रफल व किस्म, रिसोर्ट/होटल खोलने के लिए आवश्यक भूमि की किस्म, उक्त रिसोर्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण, उक्त रिसोर्ट के विरुद्ध वर्ष 2009 से प्राप्त शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण आदि कुल 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ./2020/1686 दिनांक 07.02.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को कार्यालय नायब तहसीलदार, श्रीमहावीरजी द्वारा पत्रांक–रीडर/2020/45 दिनांक 07.02.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं उक्त कार्यालय के विनिश्चिय से अवगत करवा दिया गया है जिसकी प्रति इस न्यायालय में पेश की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:10:00 IST
Reason: SelfAttested